न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 61 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह
2. चेनसिंह पुत्र मंगलसिंह
3. दीपसिंह पुत्र सरदारसिंह
4. दोलसिंह पुत्र सरदारसिंह
5. पुंजराजसिंह पुत्र सरदारसिंह
6. पदमसिंह पुत्र सरदारसिंह
7. परबतसिंह पुत्र मंगलसिंह
8. सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी तहसील सिवाना

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.लालसिंह पुत्र मंगलसिंह
2.जोगसिंह पुत्र भंवरसिंह
3.भीखकंवर पत्नी भंवरसिंह
4.राणसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
5.मैनजर, एस.बी.आई. शाखा पादरू
6.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02 / 2021 बअनवान लालसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.01.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 820 रकबा 05.6899 हैक्टयर भूमि ग्राम रेलो की ढाणी पटवार मण्डल कुण्डल में अवस्थित है, जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण / अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा संख्या 817, 819 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार पचपदरा ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर गये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिवाना ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर गए कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये विना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जवकि रेस्पोडेंटगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु अपीलांटगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार खसरा संख्या 1104/987, जो राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है तथा उसमें से होकर रेस्पोडेंटगण की खातेदार तक पहुंचने का निकटतम विकल्प उपलब्ध है जिस पर विचार किया जाना समुचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 02/2021 बअनवान लालसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम रेलो की ढाणी पटवार हल्का कुण्डल खसरा संख्या 1010/825 के सभी रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर, वाद सम्यक तामीली उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए लघुतम मार्ग देने की कार्यवाही कर तीन माह में विधि सम्मत आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.02.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

25/1/2022

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर